न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 - 65/2018

अनवान : -

1. संदीप पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. चमेली पुत्री होशियारसिंह पत्नि संदीप पुत्रवधु कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी शेरड़ा हाल निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. शकून्तला पुत्री दलबीर पत्नी राजकुमार पुत्र वधू रामधारी जाति जाट निवासी शेरडा हाल निवासी खेरमपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार (हरियाणा)
3. मंजू पुत्री जयसिंह पत्नी सत्यवाल पुत्रवधू रामकुमार जाति जाट निवासी सरसाना तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)
4. अंजू पुत्र जयसिंह पत्नी महेश कुमार पुत्रवधू महेन्द्र जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. पूनम पुत्री जयसिंह पत्नी बंशीलाल पुत्रवधू महेन्द्र जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादर जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं दुरूस्ती रिकार्ड

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा **: वादी**

वकील श्री राजेन्द्र कालीरावण **: प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5**

निर्णय **दिनांकः**

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि वाद भूमि रोही शेरड़ा के खाता सं0 149/439 के खसरा सं0 406 की 4.477 है0 खसरा सं0 502 की 1.517 है0 खसरा सं0 578 की 0.240 है0 खसरा सं0 603 की 2.580 है0 खसरा सं0 808 की 1. 973 है0 खसरा सं0 835 की 2.516 है0 कुल 13.303 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में विमला पत्नी स्व0 जयसिंह, मैना, सुमन, चमेली, शकून्तला, संदीप व सरोज पि0 जयसिंह का 1/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार है।

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 वादी के चाचा क्रमश : दलवीर व होशियारसिंह की पुत्री है। प्रतिवादी सं0 3 ता 5 वादी की सगी बहनें है। वाद भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है। उक्त भूमि वादी को अपने पिता जयसिंह की मृत्यु के उपरान्त विरासतन प्राप्त हुई है। जयसिंह की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि का इंतकाल दर्ज करते समय भूलवंश वादी की सगी बहन अंजू, पूनम व मंजू की जगह चमेली, शकून्तला, सरोज के नाम इंतकाल दर्ज कर दिया। चमेली, वादी के चाचा होशियारसिंह की पुत्री है। शकून्तला वादी के चाचा दलवीर की पुत्री है व सरोज के नाम से वादी की कोई बहन नहीं है जो सहबन से दर्ज हुआ है जो लिपिकीय भूल है।

वाद भूमि चमेली, शकून्तला व सरोज के नाम दर्ज रहने से वादी एवं उसकी सगी बहनों मंजू, अंजू व पूनम के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे

उनको नापूरा होने वाला नुकसान होगा। वादी उक्त लिपिकीय भूल को दुरूस्त करवाकर खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किय जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने इक़बालदावे पेश किये। प्रतिवादी सं0 6 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में संदीप पुत्र जयसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम शेरडा सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2, प्रमाण पत्र प्रदर्श 3, चित्रप्रति नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम शेरड़ा प्रदर्श 4, शपथ पत्र प्रदर्श 5 व 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम शेरड़ा की जमाबन्दी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाकर अपने हक़ों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में चमेली, शकून्तला, सरोज का का सही नाम क्रमश : मन्जू, अन्जू, पूनम पुत्रिया जयसिंह होना जाहिर करते हुए रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित बताया है एवं सरपंच ग्राम पंचायत शेरड़ा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र में जयसिंह के वारिसान में पत्नि बिमला, 5 पुत्रियां मैना, मन्जू, अंजू, पूनम, सुमन व एक पुत्र संदीप होना व इनके अलावा इनके अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित किया है एवं वादी के दावा का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वाद भूमि रोही मोजा शेरड़ा के खाता सं0 149/439 कुल 13.303 है0 बारानी कृषि भूमि में चमेली, शकुन्तला, सरोज पि0 जयसिंह नाम की लड़कियां नहीं होने के कारण उनका कोई हक व हिस्सा नहीं है उनका इनका नाम वर्तमान जमाबन्दी से कलमजन कर उनकी जगह पर अंजू, मंजू व पूनम पुत्रिया जयसिंह प्रत्येक 1/42-1/42 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार अंजू, मंजू व पूनम पि0 जयसिंह को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14/5/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 – 65/2018

अनवान :

1. संदीप पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. चमेली पुत्री होशियारसिंह पत्नि संदीप पुत्रवधु कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी शेरड़ा हाल निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. शकून्तला पुत्री दलबीर पत्नी राजकुमार पुत्र वधू रामधारी जाति जाट निवासी शेरडा हाल निवासी खेरमपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार (हरियाणा)
3. मंजू पुत्री जयसिंह पत्नी सत्यवाल पुत्रवधू रामकुमार जाति जाट निवासी सरसाना तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)
4. अंजू पुत्र जयसिंह पत्नी महेश कुमार पुत्रवधू महेन्द्र जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. पूनम पुत्री जयसिंह पत्नी बंशीलाल पुत्रवधू महेन्द्र जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादर जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संदीप गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 की उपस्थिति में निर्णय हेतु होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वाद भूमि रोही मोजा शेरड़ा के खाता सं0 149/439 कुल 13.303 है0 बारानी कृषि भूमि में चमेली, शकुन्तला, सरोज पि0 जयसिंह नाम की लड़कियां नहीं होने के कारण उनका कोई हक व हिस्सा नहीं है उनका इनका नाम वर्तमान जमाबन्दी से कलमजन कर उनकी जगह पर अंजू, मंजू व पूनम पुत्रिया जयसिंह प्रत्येक 1/42–1/42 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार अंजू, मंजू व पूनम पि0 जयसिंह को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.5.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ़